



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी ।

प्रेस-नोट

दिनांक:-09.06.2022

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0-238/2019, धारा-376, 493, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. विवेक कुमार यादव पुत्र श्री फूलचन्द यादव निवासी खानजहां फूलपुर आजमगढ़ को श्री आर0एस0 गौतम पुलिस काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व थाना-लंका पुलिस के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/F.T.C. II जनपद वाराणसी द्वारा दिनांक-09.06.2022 को अभियुक्त विवेक कुमार यादव को धारा-376 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 20000/- (बीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा । धारा-493 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 10000/- (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

(मीडिया सेल)

पुलिस उपायुक्त कार्यालय
जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी ।